संख्या : 52/XVII(1)-2/2005-369/2002

प्रेषक,

एस. के. मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तरांचल,
हल्द्वानी, नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2. देहरादून, 15 मार्च 2005

विषय : राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अन्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, भारत सरकार, योजना आयोग (स्टेट प्लान डिविजन), नई दिल्ली के शासनादेश संख्या–एम.–13048/27/यू.टी.टी./2003–एस.पी.–सी., दिनांक 22 फरवरी 2005 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 मे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अन्तर्गत राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना हेतु निम्नानुसार रूपये 615.18 लाख (रूपये छः करोड़ पन्द्रह लाख अठारह हजार मात्र) व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(रूपये लाख में)

मानक मद	आबंटित धनराशि
20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	585.89
42–अन्य व्यय	29.29
योग	615.18

(रूपये छः करोड़ पन्द्रह लाख अठारह हजार मात्र)

2. उक्त धनराशि भारत सरकार, योजना आयोग, स्टेट प्लान डिविजन, नई दिल्ली द्वारा एन.एस.ए.पी. योजनान्तर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में आबंटित की गई है।
3. उक्त धनराशि केवल राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लम्बित आवेदन पत्रों के आवेदकों को प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त के आधार पर ही भुगतान की जाएगी।
4. उक्त धनराशि का तत्काल उपयोग कर संलग्न प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जाए।
5. उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों मे कदापि नही किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए यह स्वीकृत किया जा रहा है।
6. स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व शासन द्वारा समय–2 पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
7. उक्त धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह भी सुनिश्चित करें कि धनराशि सम्बन्धित अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के 'आयोजनागत पक्ष' के लेखाशीर्षक "2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना–0101–राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) (100 के.स.)" की सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–883/XXVII(2)/2004, दिनांक 11 मार्च 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस. के. मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक : यथोपरि।

संख्या : 52 (1)/XVII(1)-2/2005–369/2002, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1 निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, उत्तरांचल।
2 महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा, देहरादून।
3 निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, नैनीताल, उत्तरांचल।
5 सचिव, नियोजन, उत्तरांचल शासन को उनके पत्र संख्या–211/पी.एस./स.नि./2005, दिनांक 02 मार्च 2005 के क्रम में।
6 वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
7 निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
अनु सचिव।